

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जबलपुर (म.प्र.)

(आपराधिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2024 में द्वितीय संशोधन आदेश)

कमांक /245/ सी.जे.एम. /2024

जबलपुर, दिनांक 10.09.2024

कार्यालय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश जबलपुर के आदेश कमांक 339/दो-12-32/2000 दिनांक 09 सितम्बर 2024 के अनुपालन में जिले में, मैं आलोक प्रताप सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर, जिले में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए पूर्व में जारी आपराधिक कार्य विभाजन आदेश दिनांक 29.05.2024 में प्रशासनिक कार्यव्यवस्था की दृष्टि से निम्नानुसार संशोधन करता हूँ, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं शेष आदेश यथावत रहेगा-

1. कार्यविभाजन आदेश के सरल कं. 06 (श्रीमती नमिता बौरासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर) के कॉलम कं. 03 से आरक्षी केन्द्र विजय नगर, घमापुर, एवं संजीवनी नगर को विलोपित किया जाता है।
2. कार्यविभाजन आदेश के सरल कं. 09 (श्रीमती रूचि गोलस सगर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर) के कॉलम कं. 03 से आरक्षी केन्द्र बरेला, गोरखपुर, तिलवारा को विलोपित कर आरक्षी केन्द्र विजय नगर समाहित किया जाता है।
3. कार्यविभाजन आदेश के सरल कं. 19(श्रीमती मृणालिनी सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर) के कॉलम कं. 03 से आरक्षी केन्द्र हनुमानताल, गोराबाजार को विलोपित किया जाता है।
4. कार्यविभाजन आदेश के सरल कं. 18 (श्री गौरव गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर) के कॉलम कं. 03 एवं क. 04 को विलोपित कर निम्नानुसार कॉलम कं. 03 एवं 04 प्रतिस्थापित किया जाता है-

क्र	मजिस्ट्रेट	आरक्षी केन्द्र	क्षेत्राधिकार
18	डॉ. श्री गौरव गर्ग जे.एम.एफ.सी. जबलपुर।	हनुमानताल, घमापुर, गोरखपुर, गोराबाजार, संजीवनीनगर, तिलवारा, बरेला	1- आरक्षी केन्द्रों से उदभूत परकाम्य लिखित अधिनियम एवं द पेयमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 से संबंधित प्रकरण। 2- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण।

5. कार्यविभाजन आदेश के सरल कं. 30 (सुश्री पलक श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर) के कॉलम कं. 03 में आरक्षी केन्द्र कोतवाली समाहित किया जाता है एवं कॉलम कं. 04 को विलोपित कर निम्नानुसार कड़िका समाहित की जाती है-

क्र	मजिस्ट्रेट	आरक्षी केन्द्र	क्षेत्राधिकार
30	सुश्री पलक श्रीवास्तव जे.एम.एफ.सी. जबलपुर।	कोतवाली	1- आरक्षी केन्द्र के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न प्रकरण (महिलाओं के विरुद्ध उदभूत होने वाले आपराधिक प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन, परिवाद प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण को छोड़कर) परिवाद प्रकरण, धारा 156(3)दं. प्र.सं. के आवेदन। 2- क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के खात्मा प्रकरण। 3- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण

6. कार्यविभाजन आदेश के सरल कं. 38 (श्रीमती प्राची सिंह पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर) के कॉलम कं. 04 में निम्नानुसार कड़िका समाहित की जाती है-

क	मजिस्ट्रेट	आरक्षी केन्द्र	क्षेत्राधिकार
01	02	03	04
30	श्रीमती प्राची सिंह पटेल जे.एम.एफ.सी. जबलपुर।		2- जिला मुख्यालय जबलपुर के समस्त आरक्षी केन्द्रों से उदमृत आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण। 3- आरक्षी केन्द्र ओमती से उदमृत से उदमृत (महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध से संबंधित परिवाद एवं ऐसे खात्मा प्रकरण जिसमें पीड़ित महिला हो को छोड़कर) परिवाद प्रकरण, धारा 156(3) दं.प्र.सं. के आवेदन एवं उक्त आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न खात्मा प्रकरण।

7. कार्यविभाजन आदेश के अनुसूची कं. 01 के सरल कं. 05 (श्रीमती नमिता बौरासी, जे.एम.एफ.सी. जबलपुर) सरल कं. 08 (श्रीमती रुचि गोलस सगर, जे.एम.एफ.सी. जबलपुर), सरल कं. 17 (श्री गौरव गर्ग, जे.एम.एफ.सी. जबलपुर) एवं सरल कं. 18 (श्रीमती मृणालिनी सिंह, जे.एम.एफ.सी. जबलपुर) को विलोपित कर निम्नानुसार सरल कमांक समाहित किये जाते हैं-

क	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	प्रथम प्रभारी	द्वितीय प्रभारी	तृतीय प्रभारी	चतुर्थ प्रभारी
01	02	03	04	05	06
05	श्रीमती नमिता बौरासी	डॉ. श्री गौरव गर्ग	श्रीमती रुचि गोलस सगर	श्रीमती मृणालिनी सिंह	श्री राहुल छत्री
08	श्रीमती रुचि गोलस सगर	श्रीमती मृणालिनी सिंह	श्रीमती नमिता बौरासी	डॉ. श्री गौरव गर्ग	सुश्री राखी साहू
17	डॉ. श्री गौरव गर्ग	श्रीमती नमिता बौरासी	श्रीमती मृणालिनी सिंह	श्रीमती रुचि गोलस सगर	श्री मृणाल मोहित
18	श्रीमती मृणालिनी सिंह	श्रीमती रुचि गोलस सगर	डॉ. श्री गौरव गर्ग	श्रीमती नमिता बौरासी	श्रीमती प्राची सिंह पटेल

8. कार्यविभाजन आदेश के अनुसूची कं. 01 के सरल कं. 32 (सुश्री किरण वर्मा, जे.एम.एफ.सी. जबलपुर) के प्रथम प्रभारी के रूप में अंकित डॉ. श्री गौरव गर्ग, जे.एम.एफ.सी. जबलपुर विलोपित कर सुश्री राखी साहू, जे.एम.एफ.सी. जबलपुर का नाम प्रतिस्थापित किया जाता है।

9. कार्यविभाजन आदेश के अनुसूची कं. 01 के सरल कं. 12 (श्रीमती रश्मि मण्डलोई ठाकुर, जे.एम.एफ.सी. जबलपुर) के द्वितीय प्रभारी के रूप में अंकित डॉ. श्री गौरव गर्ग, जे.एम.एफ.सी. जबलपुर विलोपित कर श्री मनमोहन सिंह कौरव, जे.एम.एफ.सी. जबलपुर प्रतिस्थापित किया जाता है।

10. कार्यविभाजन आदेश के अनुसूची कं. 01 के सरल कं. 18 (श्रीमती अंशु चौहान गुप्ता, जे.एम.एफ.सी. जबलपुर) के तृतीय प्रभारी के रूप में अंकित डॉ. श्री गौरव गर्ग, जे.एम.एफ.सी. जबलपुर विलोपित कर श्री रविन्द्र कुमार धुर्वे, जे.एम.एफ.सी. जबलपुर प्रतिस्थापित किया जाता है।


 (आलोक प्रताप सिंह)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक / 241 / सी.जे.एम. / 2024

जबलपुर, दिनांक 10.09.2024

प्रतिलिपि:-

1. कार्यालय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्री न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जबलपुर/पाटन/सिहोरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सचिव, जिला अधिवक्ता संघ, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।


(आनंद प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर